संख्या- 70/2021/2651/58-2021-194/2018

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2021**

विषयः **राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में एस.एल.एस.सी. से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो, बाबूगढ़, हापुड़ एवं कसया, कुशीनगर परियोजनान्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 1718.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 306.74 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-420/आर0के0वी0वाई0/कार्ययोजना/2021-22, दिनांक 07.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 में एस.एल.एस.सी. से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोटैटो, बाबूगढ़, हापुड़ एवं कसया, कुशीनगर परियोजनान्तर्गत कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-1844/12-3-2021-100(37)/2017 टी0सी0, दिनांक 06.12.2021 द्वारा अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा040- के+रा0)-0207-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की पूंजीगत योजनायें-(के060/रा040-के$रा0) की मानक मद 24 वृहद निर्माण में कुल धनराशि रू0 306.74 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, उद्यान के निवर्तन पर रखी गयी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु उपरोक्त स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि रू0 306.74 लाख की केवल प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-1844/12-3-2021-100(37)/2017 टी0सी0, दिनांक 06.12.2021 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

संख्या-70/2021-2651(1)/58-2021 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) कृषि अनुभाग-3
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

http://sahsanadesh.up.gov.in